तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/2145/2002/गंगानगर** **बहादुर सिंह बनाम भवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
`	**खण्ड–पीठ** **श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य** **श्री भवानीसिंह पालावत, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री प्रदीप नेहरा, अभिभाषक अपीलांट। (2) श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक रेस्पो0 **आदेश दिनांकः– 16.01.2025** अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर के निर्णय दिनांक 25–01–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2– सारतः तथ्य इस प्रकार है कि लिछमा पुत्री उदयसिंह ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा वादी डिक्री किया जाकर स्व0 उदयसिंह की खातेदारी भूमि रोही भोजेवाला खसरा नं0 35 की 62 बीघा 2 बिस्वा में जायज वारिस होने के कारण 1/7 हिस्से की डिक्री प्रदान की जावे। इस वाद को विचारण न्यायालय ने दिनांक 30–12–1999 को स्वीकार किया गया जिसकी अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–01–2002 से अपील अपीलांट अस्वीकार कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3– अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिये जाने का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री / टी0ए0 / 2145 / 2002 / गंगानगर** **बहादुर सिंह बनाम भवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निवेदन किया।

4– प्रत्युत्तर में अधिवक्ता रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र के कथनों का विरोध करते हुए तर्क दिये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात हो रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5– इसके उपरान्त विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गयी।

6– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए उसमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि नामान्तरकरण सं0 15 में लिछमा व सावित्री का नाम उनके हक त्याग हो जाने के कारण उन्होंने अपना हक छोड़ दिया है। अतः शेष वारिसान को भूमि मिलनी चाहिए। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–1990 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–2002 निरस्त फरमाया जावे। दावा वादिया रेस्पो0 नं0 8 खारिज किया जावे। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 1985 ए.आई. आर. पेज 25, 1986 ए.आई.आर., 2014 आर.आर.टी. पेज 509 एवं 2016 आर.बी.जे. पेज 673 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

7– जवाब में अधिवक्ता रेस्पो0 ने बताया कि लिछमा व सावित्री ने अपने अधिकारों की घोषणा वाद के माध्यम से करा ली है तथा अपना हक अपने भाई के पक्ष में त्याग दिया है। इस प्रकार वादी की अपील कतई पोषणीय नहीं है जिसे खारिज किया जावे।

8– उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेशों का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

9– सर्वप्रथम हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/2145/2002/गंगानगर** **बहादुर सिंह बनाम भवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में नामान्तरकरण सं0 15 दिनांक 24–02–1985 तथा दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 19–01–2005 को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित समझते हैं जो पत्रावली का भाग रहेगे। 10– पत्रावली से प्रकट होता है कि उदयसिंह के सात वारिसान थे जिसमें दो पुत्रियां लिछमा व सावित्री थी जो नामान्तरकरण सं0 15 दिनांक 24–02–1985 को भरा गया है। उसका अवलोकन करने पर पाते है कि उक्त नामान्तरकरण/उसकी प्रकिया पर पुत्री लिछमा व सावित्री के अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर नहीं हैं तथा पुस्त के पीछे अंकित वर्णन में बयान कलमबद्ध किये जाने का उल्लेख है जबकि ऐसे कोई बयान पत्रावली में प्रस्तुत नहीं है। इससे यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने अपने बयान दिये हो और अपना हक त्याग किया हो। ग्राम पंचायत को किसी खातेदार को उसके हकों से महरूम करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि स्वयं वारिस द्वारा हक त्याग नहीं किया गया हो। प्रस्तुत वाद में सावित्री व लिछमा के हक अधिकारों की घोषणा की गई है तथा जो दस्तबरदारी दस्तावेज/हक त्याग प्रस्तुत किया है, वह पंजीबद्ध दस्तावेज है जो वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् अस्तित्व में आया है और उक्त पंजीकृत दस्तावेज के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है, अर्थात उक्त दस्तावेज विधिसम्मत है या नहीं। यह विषय इस वाद में विचारणीय नहीं है क्योंकि न तो पंजीकृत दस्तावेजों के बारे में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है और न ही उक्त हक त्याग दस्तावेज दिनांक 19–02–2005 इस वाद में चुनौतिपूर्ण है। तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अपीलार्थी को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/2145/2002/गंगानगर** **बहादुर सिंह बनाम भवरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11– अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है। 12– अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। 13– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **(राजेश कुमार दड़िया)** **सदस्य** **सदस्य**	